राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक– एफ.3(ग)ए.सी.पी. /85–III/अलेसे–II/ 14453-56 दिनांक– 18.12.2012

कार्यालय आदेश संख्या 242/2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आपातकालीन परीक्षा 1985 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	जगदीश नारायण शर्मा	10-05-1957	12.08.1985	12.08.2012	
2	भवर सिंह	01-01-1954	13-08-1985	13-08-2012	

उपरोक्त लेखाकारो के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008–1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त लेखाकारो का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारो की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नही है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वेतन नियतन किये जाते समय 26 ए का लाभ नही दिया गया है।

निदेशक

क्रमांक– एफ.3(ग)ए.सी.पी. /85–III/अलेसे–II/ 14453-56 दिनांक– 18.12.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष............
2. श्री............ लेखाकार, कार्यालय............
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग(वेबसाईट हेतु) ACP ORDER

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)